

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :शिविरा-मा/संस्था/सी-5/नियुक्ति भूगोल/पीएससी. 15/2017 दिनांक- 30.06.2017 के तहत विजेन्द्र कुमार व्याख्याता, भूगोल का पदस्थापन राउमावि मातासुला, झल्लारा (223562) सलूमबर उदयपुर किया गया।

श्री विजेन्द्र कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सी. याचिका संख्या 3628/2021 विजेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 02.03.2021 में याचिकार्थी श्री विजेन्द्र कुमार को अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रस्तुत अभ्यावेदन को आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं की पत्नी सडक दुर्घटना से ग्रसित होने एवं तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर जयपुर में कार्यरत होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि. कावट सीकर (219164) अथवा श्रीमती जमना देवी राबउमावि. नीमकाथाना सीकर (219318) किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का परीक्षण व मनन किया। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित में राज्य में किसी भी राउमावि/राबाउमावि में पदस्थापन किया जा सकता है। यह विधि सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी लोकसेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। उक्त आधार पर याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाए जाने के आधार पर एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित हो।


(सौरभ स्वामी)

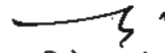
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/विजेन्द्र कुमार/3628/21/अभ्यावेदन/6 दिनांक:- 05/07/2021

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
02. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
03. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
04. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
05. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
06. संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)